

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या- 20/2014

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला-बारां

(प्रार्थी)

बनाम

चतुर्भुज पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी जारेला तहसील मांगरोल जिला बारां

(अपार्थी)



रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956
उपस्थिति :-1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

आदेश दिनांक- 25.08.2021

1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अपार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अपार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 101 रकबा 0.16 है. किस्म बंजड़ वाके ग्राम जारेला तहसील-मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2007-70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014-2023 में खसरा नम्बर 19 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, उक्त भूमि भू प्रबंध विभाग द्वारा दोराने सेटलमेंट कार्य गै.मु.तलाई की किस्म बंजड़ दर्ज कर ख.नं. 101 रकबा 0.16 है. को अवैधानिक रूप से अपार्थी के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा-16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अपार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अपार्थी जयें सम्मान तलब किया गया। अपार्थी दिनांक 11.04.2016 को बावजूद सूबना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस हेतु नियत की गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

3- हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

4- बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन कि कि ग्राम जारेला की आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.तल को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौरान सेटलमेंट कार्य अप्रार्थी के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज किया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तल थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा 101 रकबा 0.16 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म बंजड दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा-16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है। ऐसे नियम विरुद्ध आवंटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी प्रकार मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियाँ हुई हैं वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को तीर दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5- हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2014-23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 101 रकबा 0.16 है0 बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है।

7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित/नियमन आराजी खसरा नम्बर 19 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई का आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 101 रकबा 0.16 है0 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरुद्ध हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत

जिला कमिश्नर
राज (खसरा)

